झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–178/2017 .... राँची, दिनांक–............................

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः A.I.B.P. अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फेज–I, II, III, IV तथा V के तहत स्वीकृत चेकडैम निर्माण की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु ACA मद में अप्राप्त राशि रू0 40.74 करोड़ का व्यय राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति।

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन A.I.B.P. अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फेज–I, II, III, IV तथा V के तहत स्वीकृत चेकडैम निर्माण की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु ACA मद में अप्राप्त राशि रू0 40.74 करोड़ का व्यय राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. A.I.B.P. फेज–I, II एवं III की योजनाओं को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 2015 थी। योजनाओं को पूर्ण करने की तिथि मार्च 2017 तक बढ़ाने एवं राज्य सरकार के पास बचे अनुदान की राशि 17.311 करोड़ से फेज–I, II. III की योजनाओं के दायित्वों के भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से किया गया। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फेज–I, II, III की योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि मार्च 2017 तक बढ़ाते हुए इन योजनाओं के दायित्व के भुगतान हेतु रू0 6.99 करोड़ के अवशेष केन्द्रीय अनुदान के व्यय की स्वीकृति दी गई।

4. प्राप्त अनुमति के आधार पर फेज–I, II. III की योजनाओं के दायित्व भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न प्रमंडलों को आवंटन निर्गत किया गया, परन्तु योजनाओं पर निर्गत आवंटन के विरूद्ध मार्च 2017 में मात्र 15 प्रतिशत निकासी का बंधेज वित्त विभाग द्वारा लगा दिए जाने के कारण सम्पूर्ण राशि का व्यय नहीं किया जा सका। इस तीन फेज में Liability तथा भुगतान की स्थिति निम्नवत् हैः–

Phase	Liability on 01.04.2016	Payment in 2016-17	Liability on 01.04.2017
I	1.24	0.502	0.65
II	1.01	0.509	0.22
III	4.74	1.882	0.77
Total :-			***1.64***

5. फेज–I, II एवं III की योजनाओं के दायित्व भुगतान हेतु जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से पुनः अनुमति मिलने की सम्भावना नहीं होने के कारण रू0 1.64 करोड़ की राशि का भुगतान राज्य योजना मद से करने का प्रस्ताव है।

6. ए0आई0बी0पी0 अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही फेज–IV एवं V के संबंध में स्थिति निम्नवत् है:–

(राशि करोड़ रू0 में)

फेज	योजना का नाम	योजना की सं0	चेकडैम की सं0	प्र0स्वी0 की राशि	funding Pattern	प्राप्त केन्द्रीय अनुदान	केन्द्रीय अनुदान की राशि का व्यय	केन्द्र सरकार से MoU के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	लम्बित/कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्कता	अभि
IV	चे0/श्रृं0 चेकडैम	171 अदद्	410	187.568	90:10	137.104	137.104	मार्च 2017	14.24	35 चेकडैम स्थगित
V	चे0/श्रृं0 चेकडैम	82 अदद्	130	86.584	75:25	19.379	19.379	मार्च 2017	24.86	6 चेकडैम स्थगित
								कुल :–	**39.10**	

7. वर्तमान परिपेक्ष्य में AIBP के फेज–I से फेज–V तक की सभी योजनाओं को पूरा करने हेतु रू0 40.74 करोड़ की आवश्यकता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत सरकार से वांछित राशि मिलने की संभावना क्षीण है। योजनाओं को पूर्ण करने हेतु राशि की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

8. उपरोक्त परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन A.I.B.P. अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फेज–I, II, III, IV तथा V के तहत स्वीकृत चेकडैम निर्माण की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु ACA मद में अप्राप्त राशि रू0 40.74 करोड़ का व्यय निम्न तालिका के अनुसार राज्य योजना मद के बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05 तथा 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05 से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि करोड़ में)

क्र0	योजना का नाम	सं0	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	दायित्व भुगतान हेतु आवश्यक राशि
1	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	117 अदद्	3/पी0एम0सी0/प्र0 140/09–16, दि0–13.02.10 शुद्धिपत्र–09/10–11, दि0–06.07.2010	0.65
2	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	61 अदद्	3/पी0एम0सी0/प्र0 172/09–16/10–11 प्र0स्वी0, दि0–03.09.2010	0.22
3	श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	108 अदद्	3/पी0एम0सी0/प्र0 51/10–11/23/10–11 प्र0स्वी0, दि0–03.12.2010	0.77
4	चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	187 अदद्	3/पी0एम0सी0/प्र0 61/10–11/47/10–11 प्र0स्वी0, दि0–07.03.2011	14.24
5	चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	338 अदद्	3/पी0एम0सी0/कार्य–122/13/54/13–14 प्र0स्वी0, दि0–30.11.2013	24.86
			कुल :–	**40.74**

9. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची /खूँटी/लोहरदगा/गुमला/सिमडेगा/चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला/मेदिनीनगर/ गढ़वा / लातेहार/हुसैनाबाद/हजारीबाग/रामगढ़/कोडरमा/चतरा/धनबाद/बोकरो/दुमका/साहेबगंज /पाकुड/जामताड़ा/गोडड्डा/लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका होंगे।

10. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा

12. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर योजना –सह– वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–178/2017 .... **राँची, दिनांक**–..............................

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–178/2017 .... **राँची, दिनांक**–..............................

प्रतिलिपिः सभी कोषागार, पदाधिकारी, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–178/2017 65/17-185 स्वी. .... **राँची, दिनांक**–13.12.2017

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका /उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

13/12/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

13/12/17

3_178_17_W_AA_1